

सं० 22/26/2018-स्था०-3 | 636

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

5वाँ तल, सेवा भवन,
रामा कृष्णा पुरम, दिल्ली -110066
दिनांक : 12th दिसम्बर, 2018

सेवा में,

श्री ललित कुमार मिश्रा,
क्वाटर सं० 456/सी,
रोड़ सं.-0 गांधी पार्क,
समस्तीपुर,
बिहार- 848101

(Email: Abhineetsandilya@rediffmail.com)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपने आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 28-11-2018, जोकि अन्य पब्लिक आथोरिटी अर्थात दिव्यांगजन विभाग/जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय/अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी फॉर आर.टी.आई., केन्द्रीय जल आयोग के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 30-11-2018 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें। जहाँ तक इस आयोग के स्थापना-3 अनुभाग का संबंध है, वांछित सूचना/वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

माँगी गई सूचना	वस्तुस्थिति
Who identifies the post suitable for PWD in Govt. jobs. When is the next meeting to be held for this purpose	Identification of post for PWD for Central Water Engineering (Group-A) Service in Central Water Commission are being done as per instructions issued by the Department of Personnel & Training from time to time. Latest instructions issued by DoPT vide their Office Memorandum No. 36035/02/2017-Estt(Res) dated 15-1-2018 are available on the web-site of DoPT at following link:- http://documents.doptcirculars.nic.in/D2/D02adm/36035_02_2017-Estt-Res-15012018.pdf
Who is the Competent authority to consider suitability of BL (both legs affected) candidate in Indian Engg. Service Exam and identity the post accordingly	

2. यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो आप, इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, नीचे लिखे हुए पते पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

श्री आशीष बनर्जी
सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, द्वितीय तल, सेवा भवन,
रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली- 110066
दूरभाष : +91-1126187232 (O) Fax No. 011-26195516

भवदीय,

नरेश कुमार नंदा
12.12.2018
(शिशिर कुमार नंदा)

अवर सचिव (स्था०-3) एवं सी.पी.आई.ओ.
दूरभाष : 2958 3319

जारी....

प्रतिलिपि:—

1. अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी फॉर आर.टी.आई, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को उनके पत्रांक ए-49012/8/2018/आर.टी.आई/518 दिनांक 29-11-2018 के संदर्भ में।
2. अवर सचिव, (स्थापना-4) एवं सी.पी.आई.ओ., केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली। उपरोक्त आर.टी.आई आवदेन की प्रतिलिपि, आर.टी.आई, एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए आपको स्थानांतरित की जाती है। अनुरोध है कि आर.टी.आई एक्ट, 2005 के तहत आवदेक को वांछित सूचना सीधे निर्धारित समयावधि में प्रेषित कर दी जाए।
3. उप-निदेशक, शाफ्टवेयर प्रबंध निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली (केन्द्रीय जल आयोग की वेब साईट पर अपलोड करने के लिए)

शिशिर कुमार नंदा
12.12.2018

(शिशिर कुमार नंदा)

अवर सचिव (स्था0-3) एवं सी.पी.आई.ओ.

दूरभाष : 2958 3319